

उत्तराखण्ड शासन  
सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग-01  
संख्या:- /XXXIV-1/2020-82/अ0स0/कै0का0/2020  
देहरादून : दिनांक : 29 मई, 2020

**कार्यालय ज्ञाप**

सचिव, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-6-31/2019-Policy-1, दिनांक-18 मार्च, 2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में National Broadband Mission को राज्य में प्रभावी रूप से लागू किये जाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में State Broadband Committee निम्नानुसार गठित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।   | अध्यक्ष              |
| 2. सचिव, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड।               | सदस्य                |
| 3. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।                                   | सदस्य                |
| 4. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।                                  | सदस्य                |
| 5. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड।                              | सदस्य                |
| 6. सलाहकार/ Sr. DDG of DoT working in the licenced Service Area          | सदस्य/ <i>संयोजक</i> |
| 7. सी0जी0एम0, भारत संचार निगम लिमिटेड।                                   | सदस्य                |
| 8. सी0जी0एम0, भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड।                               | सदस्य                |
| 9. भारतीय सेल्युलर ऑपरेशन एसोसिएशन (COAI) के प्रतिनिधि।                  | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 10. टावर एण्ड इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (TAIPA) के प्रतिनिधि। | विशेष आमंत्रित सदस्य |

**राज्य ब्रॉडबैंड समिति के कार्य निम्नानुसार होंगे:-**

- (क) राज्य से सम्बन्धित मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने से सम्बन्धित मामलों पर स्वयं या शासी परिषद (Governing Council) या संचालन समिति (Steering Committee) के अनुरोध पर सलाह देना।  
(ख) राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार को प्रभावी करने वाली शासी परिषद (Governing Council) या संचालन समिति (Steering Committee) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को कार्यान्वयन हेतु सुविधा प्रदान करना।  
(ग) ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स (BRI) से सम्बन्धित मामलों का समाधान करना।  
(घ) राज्य से सम्बन्धित मिशन के कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन करना।

(रमेश कुमार सुधांशु)  
सचिव।

**पृष्ठांकन संख्या:- 419 /XXXIV-1/2020-82/अ0स0/कै0का0/2020, तददिनांकित।**

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली।
  2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
  3. सम्बन्धित समस्त सदस्यगण।
  4. निदेशक आई0टी0डी0ए0, देहरादून।
  5. एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादूर को उत्तराखण्ड राज्य की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
  6. गार्ड फाइल।

*Mavish Malik*

आज्ञा से

*Garj*  
(विजय कुमार यादव)  
अपर सचिव।